राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः 3(20)वन / 2023 जयपुर, दिनांकः 28/9/23

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि इस अधिसूचना के उपबन्धों में वर्णित क्षेत्र को उसमे पाये जाने वाले वन्यजीवों व उसके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के प्रयोजनार्थ एवं उनकी पारिस्थितिकी, प्राणी जातीय, वन एवं स्थानीय भू–संरचना संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए अभयारण्य गठित करने की आवश्यकता है।

अतः वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 18 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतरधारा अनुसूचि–1 में वर्णित वन खण्डो की वनभूमि को अभयारण्य गठित करने के अपने आशय की घोषणा करती है। धारा 18 (2) के अनुरूप उक्त अभयारण्य की सीमाऐं अनुसूची–2 के अनुसार होंगी। उक्त अभयारण्य भविष्य में "धौलपुर अभयारण्य" के नाम से जाना जावेगा।

अनुसूची–1

अभयारण्य में सम्मिलित किये जाने वाले वनखण्डों की भूमिका विवरण

क्र. सं.	जिला	वनखण्ड का नाम	क्षेत्रफल वर्ग किमी. में	गजट नोटीफिकेशन का विवरण
1	धौलपुर	झिरी रक्षित वन (पार्टः देखें नोट 2)	31.5997	एफ (11)राज. / 8 / 77 दिनांक 04.03.1978
2	धौलपुर	मदनपुर रक्षित वन (पार्टः देखें नोट 3)	100.11303	एफ (21)राज. / 8 / 78 दिनांक 27.07.1978
3	धौलपुर	सेने का गुर्जा रक्षित वन (पार्टः देखें नोट 4)	72.0872	एफ (13)राज. / 8 / 79 दिनांक 21.11.1979
4	धौलपुर	अवर्गीकृतवन क्षेत्र झिरी	0.408859	–
5	धौलपुर	अवर्गीकृत वन क्षेत्र शाहपुर	0.0523	–
	कुल योग वर्ग किमी.		204.2611	

अनुसूची–2

अभयारण्य की सीमाओं की विवरण

क्र. सं.	अभयारण्य का नाम	जिला	तहसील	सीमायें	सीमा विवरण
1	वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर	धौलपुर	बाडी, सरमथुरा	उत्तर	वनखण्ड मदनपुर की वनसीमा से अन्दर की ओर 1 किमी. का क्षेत्र व फील्ड फायरिंग रेंज की प्रत्यावर्तित भूमि तथा इसके लगते हुए 1 किमी. के क्षेत्र को छोडकर, और वनखण्ड झिरी की उत्तरी सीमा से फील्ड

					फायरिंग रेंज की प्रत्यावर्तित भूमि व इससे 1 किमी. अन्दर की ओर के क्षेत्र को छोडते हुए।
2		धौलपुर	बाडी	पूर्व	वनखण्ड सोने का गुर्जा एवं मदनपुर की पूर्वी वन सीमा।
3		धौलपुर	बाडी, सरमथुरा	दक्षिण	वनखण्ड कुदिन्ना व सोने का गुर्जा व राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य की सीमाओं के मिलान बिन्दु से प्रारम्भ होकर वनखण्ड झिरी, औण्ड व राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य की सीमाओं के मिलान बिन्दु तक की राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य की सीमा।
4		धौलपुर	सरमथुरा	पश्चिम	वनखण्ड मदनपुर की वनसीमा से अन्दर की ओर 1 किमी. क्षेत्र को छोडते हुए व वनखण्ड झिरी की पश्चिमी सीमा।

नोटः– 1. अनुसूची 1 में वर्णित वनखण्डों के बीच पड़ने वाला व इन वनखण्डों तथा राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य के बीच पडने वाले राजस्व क्षेत्र को अधिग्रहण / स्वैच्छिक विस्थापन पूर्ण होने तक अभयारण्य में सम्मिलित नहीं रहेगा।

2. वनखण्ड झिरी के कुल अधिसूचित क्षेत्रफल 7027.35 हैक्टेयर में से सरमथुरा फील्ड फायरिंग रेंज का प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र 2143.76 हैक्टेयर; राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य की अतिच्छादित वन क्षेत्र 677.85 हैक्टेयर; तथा सरमथुरा फील्ड फायरिंग रेंज क्षेत्र की सीमा से एक किमी. तक का क्षेत्र 1045.77 हैक्टेयर को बाहर करते हुए शेष क्षेत्रफल 3159.97 हैक्टेयर क्षेत्रफल को ही अभयारण्य में सम्मिलित किया गया है।

3. वनखण्ड मदनपुर के कुल अधिसूचित क्षेत्रफल 12510.86 हैक्टेयर में से राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य का अतिच्छादित वन क्षेत्र 515.36 हैक्टेयर; सरमथुरा फील्ड फायरिंग रेंज की प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र व इसकी सीमा से एक किमी. तक का क्षेत्र 659.01 हैक्टेयर तथा मदनपुर वनखण्ड की उत्तरी सीमा से एक किमी. के अन्दर का वन क्षेत्र 1325.187 हैक्टेयर को बाहर करते हुए शेष बचे क्षेत्रफल 10011.3 हैक्टेयर क्षेत्रफल को ही अभयारण्य में शामिल किया गया है।

4. वनखण्ड सोने का गुर्जा के कुल अधिसूचित क्षेत्रफल 8375.76 हैक्टेयर में से राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य का अतिच्छादित वन क्षेत्र 1167.04 हैक्टेयर क्षेत्र को बाहर करते हुए शेष बचे क्षेत्रफल 7208.72 हैक्टेयर क्षेत्रफल को ही अभयारण्य में शामिल किया गया है।

5. इस प्रकार रक्षित वनखण्ड झिरी, मदनपुर एवं सोने का गुर्जा की कुल अधिसूचित 27913.97 हैक्टेयर वनभूमि में से अनुसूची–1 के अनुसार क्षेत्रफल 20426.11 हैक्टेयर क्षेत्रफल को वन्यजीव अभयारण्य संम्मिलित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन विभाग.

28/9/23